

Order sheet [Contd]

case No BA 74/2018

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>27-02-18</p> <p>03:30</p> <p>to</p> <p>03:45 PM</p>	<p>अभियुक्त प्रकाश एवं मोहर श्री सहित श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता उप०।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल विशेष लोक अभियोजक उप०।</p> <p>अभियुक्त/आवेदक प्रकाश की ओर से एक आवेदन अंतर्गत धारा-451 दं०प्र०सं० का एवं बंदूक के लाइसेंस की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। नकल अभियोजन को दिलाई गई।</p> <p>अभियुक्त/आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा-451 दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>अभियुक्त/आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक के पुत्र पवन एवं सुनील ने जमीन के बंटवारे के ऊपर से निकाल दिया तथा सुनील के द्वारा अपनी पत्नी मनीषा के माध्यम से आवेदक आवेदक एवं उसकी पत्नी के विरुद्ध झूठा अपराध क्रमांक 189/17 अंतर्गत धारा-308, 506बी/34 भा०दं०सं० का पंजीबद्ध करा दिया। जिसमें आवेदक को हिरासत में लेकर ओवदक की लाइसेंसी बंदूक 315 बोर की बंदूक क्रमांक ए.बी. 05/09462 को जप्त कर लिया है। उक्त बंदूक का कोई उपयोग नहीं हुआ है। बंदूक के थाने पर रखे रहने से उसके खराब होने की संभावना है। उक्त आधारों पर जप्तशुदा बंदूक को वापस किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>राज्य की ओर से घोर विरोध किया गया है। आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक प्रकाश की उक्त लाइसेंसी को बंदूक को पुलिस के द्वारा आवेदक के आधिपत्य से जप्त किया गया है। घटना में बंदूक का कोई प्रयोग नहीं बताया गया है केवल धमकी देने का उल्लेख है। आवेदक की ओर से असल लाइसेंस प्रस्तुत किया गया, जिसे अवलोकन के पश्चात वापिस किया गया। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस का अध्ययन करने से भी स्पष्ट है कि उक्त बंदूक आवेदक के आधिपत्य की ही है। लाइसेंस पर उक्त 315 बोर की बंदूक क्रमांक ए.बी.05/094462 लिखा है। जिससे जप्तशुदा 315 बोर की बंदूक का मिलान होता है। उक्त लाइसेंस दिनांक 01.12.2019 तक के लिए रिन्यू किया गया है। उक्त बंदूक की साक्ष्य में आवश्यकता नहीं है, उसे अनावश्यक रूप से रखे रहना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उसे लाइसेंसधारी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>आवेदक उक्त बंदूक का स्वामी होना प्रकट होता है। अतः आवेदक प्रकाश का आवेदन अंतर्गत धारा-451 दं०प्र०सं० स्वीकार किया गया। आवेदक की ओर से 60,000/-रुपए का सुपुर्दगीनामा एवं इतनी</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र इस आशय के प्रस्तुत किए जाए कि जब भी न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाएगा, वह उक्त बंदूक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखेगा, उसे कहीं खुरद बुर्द अथवा विक्रय नहीं करेगा, किसी अपराध में उसका उपयोग नहीं करेगा तो उसे उक्त जप्तशुदा 315 बंदूक सुपुर्दगी पर दी जाए।</p> <p>प्रकरण आरोप तर्क हेतु भी नियत है। परंतु बचाव पक्ष की ओर से आरोप तर्क हेतु एक अवसर चाहा गया। न्यायहित में अवसर दिया गया।</p> <p>प्रकरण आरोप तर्क हेतु पुनः पेश हो।</p> <p>(मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड</p>	